कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 264 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2017—2018 दिनांक 12 मार्च, 2018

मेसर्स वैभव विल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
निदेशक श्री राकेश कुमार
ग्राम सरसवां
विकास खण्ड—सरोजनीनगर
तहसील—सरोजनीनगर
जनपद लखनऊ।

जिला पंचायत लखनऊ

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 07.03.2018 के परिपालन में मानचित्र को शमननित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा सरसवां विकास खण्ड सरोजनीनगर तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 624, 625, 626, 628 में व्यवसायिक निर्माण कार्य हेतु कुल कवर्ड एरियां 11805.84 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1—प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।

2—जल—मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।

3—मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम—7 यथावत् लागू रहेगें।

4—प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 11805.84 वर्गमीटर में ही कराया जाये।

5—प्रतिबन्ध रहेगा अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय से 06 माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6—प्रतिबन्ध रहेगा कि अवशेष लेवरसेस की धनराशि फर्म द्वारा स्वयं लेवरसेस कार्यालय में जमा किया अनिवार्य होगा, जिसके लिए जिला पंचायत जिम्मेदार न होगी।

7—सडके, विधुत व्यवस्था, पेयजल, सीवर व रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

8—प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। भू—स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ

प्रतिलिपिः—सचिव/उपश्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, 23 एपी सेन रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 406 / नक्शा / जि0पं0 / 2020–20211 दिनांक 12 दिसम्बर, 2021

श्री अनुपम प्रकाश पाण्डेय निदेशक,
हालमार्क व्यापार प्रा0लि0
4 मंजिल, गंजट्रेडसेन्टर
10 कैपररोड, लालबाग, लखनऊ।
निर्माण स्थल–ग्राम सरसवां
विकास खण्ड सरोजनीनगर
तहसील–सरोजनीनगर
जनपद लखनऊ।

जिला पंचायत लखनऊ

आपके प्रार्थना पत्र के कम में आप द्वारा ग्रामसभा– सरसवां विकास खण्ड सरोजनीनगर, तहसील– सरोजनीनगर, जनपद– लखनऊ में कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ के पत्र संख्या 264 / नक्शा / नि0वि / जि0पं0 / 2017–2018 दिनांक 12 मार्च, 2018 अनुसार द्वारा स्वीकृत मानचित्र का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अतिरिक्त समयवृद्धि अन्तिम बार दो वर्षो के लिए दी जाती है।

अभियन्ता,
जिला पंचायत, लखनऊ।
अभियन्ता
जिला पंचायत, लखनऊ.